

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा (राज.)

क्रमांक: 39

दिनांक: 6-7-23

// रिमाण्ड ड्यूटी बाबत कार्यालय आदेश //

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-15(1)में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं गजपाल सिंह आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (लिनक अधिकारी) दौसा द्वारा प्रशासनिक कारणों से इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: 36 दिनांक 28.06.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए तालिका में अंकित न्यायिक अधिकारीगण की माह जुलाई, 2023 में रिमाण्ड ड्यूटी निम्नानुसार लगाई जाती है-

क्र.सं	नाम अधिकारी	पदनाम	दिनांक
01.	श्रीमती रेखा तिवाडी	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, दौसा	09.07.2023
02.	श्री गजपाल सिंह	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम 2 दौसा जिला-दौसा	16.07.2023

* माह जुलाई, 2023 में पड़ने वाले सभी राजकीय अवकाशों में प्रोटोकॉल का कार्य करने के लिए श्री गजपाल सिंह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-02 दौसा को अधिकृत किया जाता है। यदि किसी कारणवश श्री गजपाल सिंह, आर.जे.एस. प्रोटोकॉल कार्य करने हेतु असमर्थ रहते हैं तो इस सम्बन्ध में पूर्व में लिखित सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा को देंगे। गजपाल सिंह, आर.जे.एस. की अनुपस्थिति में श्रीमती ईशा सांघी न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा तथा इनकी अनुपस्थिति में पुनीत सोनगरा, प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, दौसा प्रोटोकॉल का कार्य सम्पादित करेंगी। सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी इस कार्यालय से लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही मुख्यालय परित्याग करेंगे।*

नोट:- शेष आदेश यथावत रहेगा।


(गजपाल सिंह)

(लिनक अधिकारी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
दौसा, जिला-दौसा (राज.)